प्र.सं. 120/20(सि.वि.) CCMS No:- 2020/00281

25/8/20

पत्रावली पेश, हुई अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। विपक्षी बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं अतः विपक्षी के विरुद्ध 82 दण्डीय कार्यवाही के आदेश दिए जाते है। विपक्षी निर्धारित मुआवजा राशि प्राप्त नहीं करने से सिविल डिपोजिट की कार्यवाही हेतु प्रकरण माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, चित्तौड़गढ़ को प्रेषित किया जावे। चूंकि चैक विपक्षी के नामका है अतः उक्त चैक प्रार्थी कम्पनी को वापस जाकर निर्धारित मुआवजा राशि सिविल डिपोजिट हेतु नवीन चैक जिला एवं सेशन न्यायाधीश चित्तौड़गढ़ के नाम से बनाकर प्रस्तुत करने हेतु लिखा जावे।

(के.के. [illegible])
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official